निर्णय व इजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 09/23
दायरा दिनांक :– 10.04.2023
निर्णय दिनांक :– 02/12/2024

उनवान

1. पदमा बाई बेवा जिनेन्द्र कुमार जैन आयु 67 साल जाति जैन निवासी कृषि उपज मण्डी के सामने बारां तह0 बारां जिला बारां राज0 मो. नं0 8306487386

प्रार्थी–

बनाम

1. विजय कुमार जैन पुत्र स्व जिनेन्द्र कुमार जैन आयु 45 साल जाति जैन निवासी कृषि उपज मण्डी के सामने बारां जिला बारां राज0

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र बाबत वृद्ध माता पिता के संरक्षण अधिनियम के तहत अप्रार्थी को मकान से बेदखल किये जाने बाबत भरण पोषण अधिनियम 2003

निर्णय दिनांक :– 02/12/2024

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र सिहं एड0– प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के पति की मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी है। प्रार्थीया के दो पुत्र है। विजय कुमार व अनिल जैन है, जो वर्तमान में प्रार्थीया के मकान कृषि उपज मण्डी के सामने बारां में निवास करते है। बडा पुत्र विजय कुमार प्रार्थीया के साथ गत 10–15 वर्षो से मारपीट व तंग करता चला आ रहा है प्रार्थीया का छोटा पुत्र अनिल बीच बचाव के लिये आता है तो उसके साथ भी मारपीट करता है जिससे उसके शरीर पर चोटे के निशान आज भी मौजूद है। प्रार्थीया द्वारा थाना कोतवाली बारां में कई रिपोर्ट विजय कुमार के विरुद्ध दी है। लेकिन जबकि पुलिस घर आती है तो वापस चली जाती है। तो पुनः मुझे उठाकर मारपीट करता है व बुरी–बुरी गालिया देता है। प्रार्थीया अब विजय कुमार जैन को अपने मकान में नही रखना चाहती है। उसे बेदखल करना चाहती है।

अप्रार्थी विजय कुमार द्वारा दिनांक 09.04.2023 को पुलिस आयी उसके 6 दिन पहले मारपीट की है। तथा प्रार्थीया उसके पास के पैसे भी छीन लेता है। विजय कुमार ने प्रार्थीया को यह धमकी दी की कभी भी सोते समय छोटे छोटे टुकडे कर फिकवा दुगा। मेरे साथ गुण्डो की टीम है। प्रार्थीया को भय है कि प्रार्थीया को किसी भी

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

समय विजय कुमार प्रार्थीया की हत्या करें। उससे पहले ही मकान से बाहर निकाल दिया जावें।

प्रार्थीया द्वारा कृषि उपज मण्डी के सामने बारां में निवास करती है। इस कारण प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार रखते हैं अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी विजय कुमार जैन पुत्र स्व जिनेन्द्र कुमार जैन निवासी बारां मण्डी गेट के सामने बारां को प्रार्थीया के मकान से निकाले जाने का आदेश सक्षम अधि0 को दिया जावें।

प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी गण को जर्ये सम्मन तलव किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्याया0 में उप0 नही होने के कारण उनके विरुद्व दिनांक 07.06.2024 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में किराया नामा, शपथ पत्र, लाईट बिल दिनांक 28.03.2000, प्रार्थना पत्र, बारां पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीया के पति की मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी है। प्रार्थीया के दो पुत्र है। विजय कुमार व अनिल जैन है, जो वर्तमान में प्रार्थीया के मकान कृषि उपज मण्डी के सामने बारां में निवास करते है। प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि उक्त मकान के मूल दस्तावेज बडे बेटे विजय कुमार के पास कब्जे में होना बताया है। बडा पुत्र विजय कुमार प्रार्थीया के साथ गत 10–15 वर्षो से मारपीट व तंग करता है प्रार्थीया का छोटा पुत्र अनिल बीच बचाव के लिये आता है तो उसके साथ भी मारपीट करता है जिससे उसके शरीर पर चोटे के निशान आज भी मौजूद है। विजय कुमार ने प्रार्थीया को यह धमकी दी की कभी भी सोते समय छोटे छोटे टुकडे कर पिकवा दुगा। प्रार्थीया को भय है कि प्रार्थीया को किसी भी समय विजय कुमार प्रार्थीया की हत्या कर सकता है। उससे पहले ही अप्रार्थी विजय कुमार को मकान से बाहर निकाल दिया जावें।

उपरोक्त विवेचनानुसार बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते है कि प्रार्थीया के दो पुत्र है। विजय कुमार व अनिल जैन है, जो वर्तमान में प्रार्थीया के मकान कृषि उपज मण्डी के सामने बारां में निवास करते है। बडा पुत्र विजय कुमार प्रार्थीया के साथ मारपीट व तंग करता चला आ रहा है। प्रार्थीया द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया है। जिससे यह साबित होता है कि विजय कुमार द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट व तंग किया जाता है। प्रार्थीया द्वारा कृषि उपज मण्डी के सामने स्थित मकान के स्वामित्व के संबंध में विद्युत बिल पेश किया। विद्युत बिल प्रार्थीया के पति जितेन्द्र कुमार जैन के नाम से तथा साथ ही उक्त मकान में स्थित दुकान का किरायानामा का शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

प्रार्थीया द्वारा मकान में स्थित एक दुकान श्री नरेश पुत्र नन्दकिशोर को किराये पर दे रखी है। तथा साथ ही प्रार्थीया द्वारा शपथ पत्र पेश किया कि उक्त मकान की एक मात्र मालिक स्वयं है। तथा मेरे अलावा अन्य कोई मालिक नही है। जिससे यह प्रतित होता है कि उक्त मकान प्रार्थीया पदमा जैन का स्वामित्व का है। अप्रार्थी विजय कुमार से मकान खाली करवाया जाकर अप्रार्थी को पाबन्द करने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी विजय कुमार को मकान से बेदखल करवाया जाना न्यायोचित है।

: <u>क्रियात्मक आदेश</u> ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वृद्ध माता पिता के संरक्षण तथा भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 स्वीकर किया जाता है। थानाधिकारी कोतवाली बारां को निर्देशित किया जाता है, कि अप्रार्थी विजय कुमार को कृषि उपज मण्डी के सामने स्थित मकान में से बेदखल किया जाकर प्रार्थीया पदमा बाई बेवा जिनेन्द्र कुमार जैन जाति जैन निवासी कृषि उपज मण्डी के सामने बारां को दिलाया जावें। अप्रार्थी को प्रार्थी से किसी प्रकार की लडाई झगडा व गाली गलोच नही करने हेतु पाबन्द किया जावें। थानाधिकारी कोतवाली बारां को उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।

निर्णय लिखा जाकर सरे इनलास सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां